

राजस्व वाद संख्या 60/2017

वादी
सुरेशकुमार पुत्र जवानमलजी
जाति जैन आयु 63 वर्ष पेशा
व्यापार निवासी जावाल तहसील
सिरोही जिला सिरोही

बनाम

प्रतिवादीगण

- 1- चम्पालाल पुत्र स्व.श्री शंकरलालजी
जाति जैन आयु व्यस्क पेशा व्यापार
निवासी जावाल हाल बैंगलुरु (कर्नाटक)
- 2- दिनेशकुमार पुत्र स्व.श्री शंकरलालजी
जाति जैन आयु व्यस्क पेशा व्यापार
निवासी जावाल तह.व जिला सिरोही
- 3- नारंगी पुत्री स्व. शंकरलालजी धर्मपत्नी
नेनमलजी जाति जैन आयु व्यस्क
पेशा घरधंधा निवासी जावाल हाल बलारी
(कर्नाटक)
- 4- भागवंती पुत्री स्व. शंकरलालजी धर्मपत्नी
बाबुलालजी जाति जैन आयु 58 वर्ष पेशा
घरधंधा निवासी सनवाडा तहसील रेवदर
जिला सिरोही हाल चैन्नई-21
- 5- राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार
सिरोही



राजस्व वाद अ.धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद स 60/2017

यह मुकदमा रूबरू सहायक कलेक्टर एस.डी.ओ सिरोही व हाजरी वादीगण वकील श्री प्रमोदकुमार दवे तथा प्रतिवादी संख्या 5 स्टेट की ओर से पेरोकार सरकार (नायब तहसीलदार, सिरोही) सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के अतः उपरोक्त सभी आधारों पर वादी का यह वाद अर्न्तगत धारा 88 आर.टी.एक्ट 1955 के तहत विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 तक का वास्ते प्राप्त करने कृषि भूमि की खातेदारी हक अधिकारों की घोषणा का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। वादी सुरेशकुमार पुत्र जवानमलजी जाति जैन निवासी जावाल तहसील व जिला सिरोही को ग्राम खाम्बल पटवार हल्का खाम्बल तहसील व जिला सिरोही में स्थित वादग्रस्त कृषि भूमि जमाबंदी संवत 2066 से 2069 के नया खाता नंबर 225 के खसरा नंबर 965 रकबा 2.4300 हेक्टेयर किस्म बंजर का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार, सिरोही) को भी आदेश दिये जाते हैं कि वे तदानुसार राजस्व रेकॉर्ड में वादग्रस्त उक्त भूमि का अमल दरामद वादी के नाम करें। वाद खर्च वादी वहन करें।

आज दिनांक 25-2-2019 को यह पर्चा डिक्री न्यायालय हाजा उपस्थित बराबस मेरे दस्तखत व मुहर के आज तारीख को जारी किया जाता है।

मुदाई
स्टाम्प अरजी दावा
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प वजह सबुत
रार्धा गवाहन
फीस कमीशनर
मुतफरीक
बाबत इजराय हुक्मनामा
मौजान

रू. पै.

मुद्दायलाह
स्टाम्प वकालतनामा
स्टाम्प अरजी
महन्ताना वकील
खर्चा गवाहन
फीस कमीशनर
बाबत इजराय हुक्मनामा
मुतफरीक
मौजान

रू. पै.

सहायक कलेक्टर(एस.डी.ओ.)
सिरोही